संकेत 14 फारम सं0 562

आदेश पत्रक

देखे अभिलेख हस्तक, 1914 का नियम 129

आदेश पत्रक ता0 .... तक जिला,

धनबाद MP वाद संख्या 1073/2015 सन् .... की धारा– 133 द०प्र०स०

तिथि	पदाधिकारी का आदेश और हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
9/7/2015	थाना प्रभारी, महुदा से प्राप्त अप्राथमिकी सं01/15 दिनांक 2-7-15 से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन किया। वलोकनोपरान्त मोजा सिंगडा मोजा न0 347 खाता न0 116 प्लोट न0 1161 रकवा 08 डि0 जमीन प्रथम पक्ष का है। लेकिन पी.सी.सी.सडक जो प्रथम पक्ष के दरवाजा तक बनी हुई है दितीय पक्ष एवँ अन्य लोगो को आने-जाने का रास्ता है तथा ग्रामिण उसी रास्ता से तालाव आना-जाना करते है तथा तालाव में नहाने-धोने के साथ कार्य किया करते है। जिसे प्रथम पक्ष के द्वारा वाउन्ड्रीवाल देकर अवरूद्ध कर दिये है जिसे लोगो में काफी रोष है। वही दितीय पक्ष के लोगो का कहना है कि अगर प्रथम पक्ष पीछे का रास्ता को अवरोध करते है तो हमलोग भी भी ~~अपने~~ अपने-अपने जमीन को धेर कर पी.सी.सी.सडक को बन्द कर देंगें। इस प्रकार उभय पक्षो के बिच गंभीर तनाव है जिसे शांतिव्यवस्था भंग हो सकती है अतः थाना प्रभारी के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर दोनो पक्षो के विरूद्ध धारा 133 दं.प्र.स के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करता हूँ। तथा निदेश दिया जाता है कि दिनांक 20-7-2015 को 10.00 बजे मेरे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नही आपके द्वारा किये गये अवरोध को बलपुर्वक हटा दिया जाय। लेखापित एवँ शशोधित (हस्ताक्षर) 9/7 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनवाद (हस्ताक्षर) 9/7 अनुमंडल दण्डाधिकारी धनवाद	

Digitally signed by PREM KUMAR TIWARY
Date: 2023.08.23 13:05:10 +05:30
Location: 192.168.29.44

Scanned with OKEN Scanner